निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–एफ.1/व्य. एवं प./पी.एफ./ दिनांकः–

परिपत्र 03/2015–16

सामान्य प्रावधायी निधि योजना में सेवा निवृत होने वाले कार्मिकों को अंतिम भुगतान हेतु प्रकरण की सघनतापूर्वक जॉच कर अधिकार पत्र जारी किया जावे। अधिकार पत्र का उल्लेख कार्मिक की पत्रावली एवं लेजरशीट में आवश्यक रूप से किया जावे ताकि कार्मिकों को अंतिम भुगतान का दूसरा अधिकार पत्र जारी नहीं हो पाये।

कतिपय मामले में जिला कार्यालय कोटा में एक सेवा निवृत कर्मचारी को दो बार अंतिम भुगतान हेतु अधिकार पत्र जारी हो गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अंशदाता की प्रथम नियुक्ति के समय तैयार की गयी मूल पत्रावली को आधार मानकर ही अंतिम भुगतान की कार्यवाही की जावे, जिससे सेवा निवृत कार्मिक को एक बार से अधिक भुगतान होने की संभावनाओं को रोका जा सके। अधिक भुगतान होने पर सेवा निवृत कार्मिक से वसूली करने में काफी कठिनाईयॉ एवं पेचीदगियॉ उत्पन्न होती है एवं अधिक भुगतान की राशि भी वसूल नहीं हो पाती है।

इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।

(गोवर्धन प्रसाद पारीक)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(पीएफ)
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः–एफ.1/व्य. एवं प./पी.एफ./771–830 दिनांकः–22-2-2016

प्रतिलिपियॉः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः--

1. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग, संभागीय कार्यालय –
2. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग, जिला कार्यालय------
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर कक्ष मुख्यालय जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(पीएफ)
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,राज0,जयपुर